

प्रेस नोट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 19.11.2025

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध असलहा व 01 अदद कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक सिकरीगंज के नेतृत्व में उ0नि0 बैजनाथ बिन्द मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 418/2025 धारा 109(1) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त शिवलाल साहनी को घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध असलहा 0.315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 0.315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.11.2025 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 13/14.11.2025 की रात्रि में वादिनी के पति अपने घर के बरामदे में सोए हुए थे कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से वादिनी के पति के ऊपर गोली चलाया गया जिससे उनके पीठ पर दाहिने तरफ कंधे के पास चोट लग गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

शिवलाल साहनी पुत्र स्व0 बिल्लर निवासी ग्राम गोड़सरी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 47/2015 धारा 302 भादवि थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 110/2015 धारा 302 भादवि बांसगांव थाना जवपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 112/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 113/2015 धारा 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 418/2025 धारा 109(1) भा0न्या0सं0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 बैजनाथ बिन्द थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अतुल राय थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 दीपक कुमार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
4. कां0 चन्दन खरवार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
5. कां0 राहुल यादव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर